

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक प. 7(185)ग्रावि/अनु.8/2014

जयपुर, दिनांक 12.2.2015

संशोधित बैठक सूचना


सिविल सोसायटी ग्रुप एवं सिटीजन आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दि० 13.2.2015 को होने वाली बैठक अब निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2015 को सांय 3.00 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तर-पश्चिमी भवन (एस.एस.ओ. बिल्डिंग) में आयोजित की जायेगी। निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेने का श्रम करें।

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 4 प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- 6 प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
- 7 प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
- 8 प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 9 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 10 शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
- 11 आयुक्त, मनरेगा।
- 12 श्रीमान निखिल डे एवं अन्य प्रतिनिधि सिविल सोसायटी ग्रुप एवं सिटीजन आर्गनाइजेशन

  
(सी. एल. वर्मा)  
परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
- 9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
- 10 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 11 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 12 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 13 निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा।
- 14 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन, ग्रा.वि० को समिति कक्ष आरक्षित करने एवं अन्य व्यवस्था हेतु।
- 15 श्रीमान निखिल डे से निवेदन है कि सिविल सोसायटी ग्रुप एवं सिटीजन आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने का श्रम करें।

  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)